**कार्यालय प्रक्रिया आदेश संख्या 1/2024**

विषय: पश्चिम रेलवे के ओपन लाइन संगठन में इंजीनियरिंग विभाग के एसएजी अधिकारियों

की भूमिका।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2010/EDCE(G)/विविध8 दिनांक 14.09.2010

…………………………

बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के अनुसार, इंजीनियरिंग विभाग के एसएजी अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय विभागाध्यक्ष की भूमिका समाप्त की जाती है और उन्हें केवल कार्यात्मक कर्तव्य सौंपे जाएँगे। इसलिए, विभाग के एसएजी अधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों में संशोधन की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग विभाग के एसएजी अधिकारियों के कर्तव्यों की संशोधित सूची नीचे दी गई है। यह इस संबंध में सभी विद्यमान निर्देशों का अधिक्रमण है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

**1. मुख्य ट्रैक इंजीनियर**

**A) सहायता के लिए**

ए) उप मुख्य इंजीनियर (टीएम) चर्चगेट बी) उप मुख्य इंजीनियर (टीओ एवं टीपी) चर्चगेट

**B) कार्य:**

1) रेलपथ संवर्ग।

2) ट्रैक से संबंधित सभी विषयों का समग्र समन्वय।

3) बजट एवं कार्य कार्यक्रम - योजना शीर्ष - ट्रैक नवीनीकरण।

4) गति प्रतिबंध, इंजीनियरिंग प्रतिबंध, समय और कार्य समय सारणी, पावर प्लान और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए

यातायात अवरोध आदि के संबंध में मंडलों की सहायता करना। केंद्रीय नियंत्रण सहित लाइन ब्लॉक, लोकोमोटिव,

रोलिंग स्टॉक आदि की व्यवस्था के लिए परिचालन विभाग के साथ बातचीत।

5) विभिन्न सीआरएस एप्लिकेशन्स के लिए सेक्शनों और लूप लाइनों पर गति बढ़ाने और ट्रैक प्रमाणपत्र जारी

करने के प्रस्तावों पर कार्रवाई करना। (सीआरएस एप्लिकेशन्स का समन्वय सीबीई द्वारा किया जाएगा)।

6) रेलपथ के लिए दरों की एकीकृत मानक अनुसूची।

7) ट्रैक प्रबंधन प्रणाली।

8) ट्रैक मानक समिति।

9) समपार- निरीक्षण, रखरखाव, मानवयुक्त बनाना, उन्नयन और सीआरएस मंजू।

10) जी एंड एसआर, दुर्घटना मैनुअल, पी.वे मैनुअल, एलडब्ल्यूआर मैनुअल और उनके कर्तव्यों से संबंधित अन्य

नियम, अधिनियम, संहिताएँ और मैनुअल।

11) बैलास्टिंग और बैलास्ट विनिर्देश।

12) ट्रैक की गश्त।

13) रेलपथ से संबंधित परीक्षण और नए विकास।

14) रेलपथ कर्मचारियों के यूनिफॉर्म।

15) इन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्मानेंट वे इंजीनियर्स (भारत)।

16) नई लाइन खोलने की नीति।

17) दुर्घटनाएँ और दुर्घटना जाँच रिपोर्ट।

18) मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की संरक्षा और समयपालन

19) आपदा प्रबंधन (केवल रेलपथ मामलों से संबंधित)।

20) अन्य विभागाध्यक्षों को सौंपे गए कार्यों के अलावा ट्रैक नवीनीकरण और संरक्षा संबंधी अन्य कार्यों की प्रगति

की निगरानी।

21) ट्रैक रखरखाव के मुद्दे, जिनमें ट्रैक जल निकासी, मिड-सेक्शन जल निकासी, फॉर्मैशन ट्रीट्मन्ट कैन्नेल स्लीपर

लेइंग आदि शामिल हैं।

22) ट्रैक और उसके घटकों के निरीक्षण की निगरानी।

23) सभी संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति।

24) सीटीई से संबंधित संस्वीकृत प्राक्कलन में स्थापना प्रावधानों का उपयोग। राजपत्रित कर्मचारियों के कार्यभारित पदों का सृजन और राजपत्रित संवर्ग नियंत्रण में पीसीई की सहायता (पीसीई के सचिव द्वारा सहायता की जाएगी)।

25) वेल्डिंग भागों सहित रेलपथ सामग्री की मांग और वितरण।

26) इंजीनियरिंग कारखाना/साबरमती में रेलों की वेल्डिंग की योजना (प्रेषण के लिए प्राथमिकता सहित)।

27) ग्रेड सी एवं डी रेलपथ कर्मचारियों, यूएसएफडी के कर्मचारियों का कैडर कंट्रोल, जिसमें गैंग कर्मचारियों की

संख्या संबंधी समीक्षा सहित भर्ती एवं प्रशिक्षण शामिल है।

28) रेलवे बोर्ड एवं महाप्रबंधक के लिए पीसीडीओ, पीसीडीओ/एमसीडीओ में अपेक्षित सहायता।

29) महाप्रबंधक सम्मेलन एवं पीसीई सम्मेलन की मदें तथा पीसीई की अनुपस्थिति में महाप्रबंधक की बैठक में

भाग लेना।

30) महाप्रबंधक, विविध प्रमुख विभागाध्यक्ष, डीआरएम और उनके पीसीडीओ से ट्रैक मामलों के संबंध में विशिष्ट

संदर्भों का समन्वय एवं निगरानी करना।

31) असामान्य घटनाओं की स्थिति में आपातकालीन नियंत्रण में अधिकारियों को नामित करना।

32) एसपीवी (पीआरसीएल, केआरसीएल आदि) से संबंधित ट्रैक मामले।

33) समपारों पर निरीक्षण, रखरखाव, परिचालन, सं रक्षा और गेटमैन (गेटमैन के रूप में तैनात पूर्व सैनिकों सहित)

का प्रशिक्षण।

34) सीटीआरटी से ओटीआरटी के प्रस्ताव (सीई/आरएसडब्ल्यू द्वारा सीटीई के माध्यम से शुरू किए जाएँगे)।

35) समझौता ज्ञापन, रेलवे बोर्ड शील्ड विवरण, वीडियो कॉन्फ्रेंस, पीसीई सेमिनार और आईआरएसई अधिकारियों का

प्रशिक्षण।

36) सेक्शनल गति बढ़ाने के लिए सीआरएस की मंजूरी।

37) पीसीई द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कोई अन्य विषय।

**2. मुख्य पुल इंजीनियर**

**ए. सहायता के लिए**

(ए) उप मुख्य इंजीनियर (डिज़ाइन)चर्चगेट (बी) उप मुख्य इंजीनियर (ब्रिज) प्रधान कार्यालय- चर्चगेट

फील्ड उप मुख्य इंजीनियर (ए) उप मुख्य इंजीनियर (ब्रिज) दादर (मुंबई सेंट्रल मंडल)

(बी) उप मुख्य इंजीनियर (ब्रिज),वडोदरा (वडोदरा एवं रतलाम मंडल)

(सी) उप मुख्य इंजीनियर (ब्रिज), अहमदाबाद (अहमदाबाद, राजकोट एवं भावनगर मंडल)

**बी. कार्य**

1) ब्रिज कैडर कंट्रोल। अप्रेंटिस जेई/एसएसई-पुलों की पोस्टिंग एवं प्रशिक्षण तथा जेई/एसएसई-पुलों की रिक्तियों की

निगरानी।

2) पुलों एवं स्टील संरचनाओं से संबंधित सभी मामले।

3) पुलों एवं स्टील संरचनाओं की डिज़ाइन - नवीनतम उपकरण, कार्यप्रणाली, अवधारणाएँ एवं समाधान।

4) बजट एवं कार्य कार्यक्रम, योजना शीर्ष "पुल कार्य"।

5) बाढ़ नियंत्रण एवं दरारें।

6) रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स।

7) रोड अन्डर/ओवर ब्रिजों की योजना, निगरानी और कार्यान्वयन।

8) पैदल ऊपरी पुल: उपनगरीय सेक्शन:- निरीक्षण और दोषों में सुधार, जिनमें स्थिति के आधार पर प्रतिस्थापन

हेतु अनुशंसा शामिल है।

9) पुलों से संबंधित संहिताएँ और नियमावली।

10) आरओबी/आरयूबी और सीमित ऊँचाई वाले सबवे के लिए राज्य सरकारों/एनएचएआई/स्थानीय निकायों/निर्माण

संगठनों आदि के साथ समन्वय।

11) उपनगरीय एफओबी/आरओबी के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय।

12) सभी संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति।

13) सीआरएस मंजूरी, ओडीसी मूवमेंट/मंजूरी और रोलिंग स्टॉक/नए सेक्शनों के लिए सीआरएस मंजूरी।

14) स्टील गर्डरों और अन्य स्टील संरचनाओं जैसे टावर, टर्न टेबल, शेड सामग्री का निपटान और इन वस्तुओं का

स्टॉक सत्यापन।

15) डिज़ाइन कैडर कंट्रोल।

16) सीबीई से संबंधित संस्वीकृत प्राक्कलनों में स्थापना प्रावधानों का उपयोग।

17) पुल से संबंधित विशिष्ट बैठकें।

18) पुलों से संबंधित संस्थानों की सदस्यता (राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि)।

19) मेट्रो रेल, डीएफसीसीआईएल, कोर आदि से संबंधित डिज़ाइन के मामले।

20) आवश्यकतानुसार निर्माण संगठन, एमआरवीसी, डीएफसीसीआईएल, एसपीवी आदि के पुल रेखाचित्रों का

अनुमोदन।

21) पुलों से संबंधित उत्पादन, भंडार और निविदाएँ/संविदाएं।

22) पुल कर्मचारियों के प्रशिक्षण सहित स्थापना संबंधी मामले।

23) आपदा प्रबंधन (पुल संबंधी मामलों के साथ-साथ समग्र समन्वय से संबंधित)।

24) जीएडी/टीएडी/आरओबी/आरयूबी/एलएचएस के विस्तृत डिज़ाइन और रेखाचित्रों का अनुमोदन और निरीक्षण,

रखरखाव और संरक्षा सहित संबंधित कार्य।

25) पीसीई की ओर से समय-समय पर सौंपे गए कोई अन्य विषय।

**3. मुख्य इंजीनियर/सामान्य**

**ए. सहायता के लिए:** उप मुख्य इंजीनियर(सामान्य),चर्चगेट

**2. कार्य:**

1) जनशक्ति योजना एवं मानव संसाधन विकास।

2) संबंधित मुख्य इंजीनियर/सामान्य में स्थापना प्रावधानों का उपयोग।

3) इंजीनियरिंग पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रबंधक।

4) पुल और ट्रैक सहित कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

5) ग्रेड सी एवं डी कर्मचारियों के कौशल का उन्नयन।

6) पीएनएम, पीआरईएम, फ़ेडरेशनों आदि की बैठकें।

7) महाप्रबंधक की विवरणात्मक रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षा एवं लेखा निरीक्षण रिपोर्ट, ड्राफ्ट पैरा और तथ्यात्मक

विवरण।

8) नीति सहित किराए के निर्धारण और मकान/क्वार्टर आवंटन से संबंधित मामले।

9) सभी कानूनी मामले और न्यायालयीन मामले।

10) सूचना का अधिकार अधिनियम।

11) सभी संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति।

12) भूमि प्रबंधन से संबंधित सभी मामले, जिनमें भूमि की सीमा निर्धारण, दुकानों का लाइसेंस/लीजिंग, संपत्ति

विकास, मेट्रो को भूमि की लीजिंग आदि शामिल हैं।

13) भूमि अतिक्रमण, राज्य सरकार और मंडलों के साथ आवधिक समीक्षा।

14) महाप्रबंधक, सीआरएस, रेलवे बोर्ड अधिकारियों और अन्य सभी अधिकारियों के निरीक्षण नोट।

15) उद्यान, विश्राम गृह के आवंटन हेतु नीति।

16) आरआरबी मांगपत्रों से संबंधित मामले।

17) हानि और चोरी के मामलों, स्टॉक शीटों के लिए समन्वय।

18) निजी भवनों की लीजिंग, किराया और अन्य शुल्क।

19) भूमि से संबंधित विशिष्ट बैठकें।

20) सीयूजी फोन का प्रावधान।

21) अन्य प्राधिकरणों - जीआरपी, आरएमएस, पी एंड टी विभाग, एसोसिएशन आदि के साथ बातचीत।

22) आईआरएसई परिवीक्षार्थियों का प्रशिक्षण। (पीसीई के सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी)।

23) अनुसचिवीय कर्मचारियों के स्थापना संबंधी मामले।

24) पीसीई कार्यालय के कर्मचारियों के ग्रेड सी और ग्रेड डी का कैडर कंट्रोल (पीसीई के सचिव द्वारा सहायता की

जाएगी), जिसमें सीटीई, सीई (टीएमसी), सीबीई और सीई (पीएल) के नियंत्रणाधीन तकनीकी कर्मचारी शामिल

नहीं हैं।

25) भंडार, वाहनों, टी एंड पी स्टेशनरी मदों का रखरखाव और पीसीई कार्यालय का रखरखाव।

26) सिविल इंजीनियरिंग लाइब्रेरी।

27) रेलवे बोर्ड और मंडल शील्ड सहित सभी प्रकार के पुरस्कार।

28) वृक्षारोपण।

29) डिस्मेंटलिंग सहित सभी सहायक साइडिंग और भूमि संबंधी मामले।

30) निजी साइडिंग से संबंधित सभी मामले और साइडिंग के लिए सलाहकारों की अनुमोदित सूची का रखरखाव।

31) रखरखाव, जलापूर्ति, जल निकासी, स्वच्छता, कॉलोनियों और क्वार्टरों के विकास कार्यों से संबंधित सभी नीतिगत

मामले और निगरानी मदें, जिनमें कॉर्पोरेट कल्याण योजना और कॉलोनी देखभाल समितियां आदि शामिल हैं।

32) भूमि की अभिरक्षा और प्रबंधन से संबंधित सभी मामले और निगरानी, जिसमें भूमि और अन्य इंजीनियरिंग

परिसंपत्तियों जैसे लीजिंग, लाइसेंसिंग, आमदनी और अतिक्रमण आदि का व्यावसायिक दोहन शामिल है।

33) प्रमाणित भूमि योजनाएँ

34) वे लीव सुविधा कार्य

35) वनरोपण

36) भूमि मुद्रीकरण और कॉलोनी पुनर्विकास के संबंध में आरएलडीए के साथ समन्वय।

37) रेल-टेल और आरएलडीए से संबंधित मदें।

38) पीएफटी/निजी साइडिंग, मेट्रो कंपनियां और नगर निगम।

39) महाराष्ट्र सरकार के राज्य समन्वयक के रूप में और एमसीजीएम से संबंधित मदें।

40) नामित मंडल (मेंटर विभागाध्यक्ष) के माइनर ब्रिज रजिस्टर की जांच।

41) पीसीई द्वारा समय-समय पर सौंपा गया अन्य कोई विषय।

**4. मुख्य इंजीनियर/योजना**

**ए. सहायता के लिए**: उप मुख्य इंजीनियर (योजना) चर्चगेट

**बी. कार्य:**

1) क्षेत्रीय रेलवे के लिए बजट और कार्य कार्यक्रम प्रभारी।

2) स्टेशन यार्ड योजनाओं सहित विभिन्न उपयोगिताओं और उपयोगों के लिए योजनाओं का मानकीकरण।

3) ड्रॉइंग कैडर कंट्रोल, अप्रेंटिस जेई/एसएसई-ड्रॉइंग की नियुक्ति और प्रशिक्षण तथा कनिष्ठ अभियंता/एसएसई-

डीआरजी की रिक्तियों की निगरानी।

4) विश्वस्तरीय स्टेशन।

5) व्यय नियंत्रण और कार्यों की प्रगति की निगरानी।

6) इंजीनियरिंग विभाग का राजस्व बजट।

7) मेट्रो से संबंधित मामले (सामान्य और सीबीई को सौंपे गए डिज़ाइन मामलों को छोड़कर)।

8) फुट ओवर ब्रिज- सीबीई और मुख्य इंजीनीयर/डब्ल्यू की सिफारिश और यात्रियों की संख्या के आधार पर

सीसीएम की सिफारिश के अनुसार स्थिति के आधार पर प्रतिस्थापन प्रस्तावों सहित कार्यान्वयन की योजना

और निगरानी।

9) सरकारी कामकाज में ई-वर्किंग - वेब (इंटरनेट) पर टाइप प्लान की उपलब्धता

10) इंजीनियरिंग विभाग का कम्प्यूटरीकरण

11) सूचना प्रौद्योगिकी और एमआईएस से संबंधित मामले

12) यात्री सुख-सुविधाएँ मॉडल, आधुनिक, आदर्श स्टेशन और मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स।

13) सभी संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति।

14) इंजीनियरिंग शाखा का एम एंड पी कार्यक्रम।

15) सीई/पीएल से संबंधित संस्वीकृत प्राक्कलनों में स्थापना प्रावधानों का उपयोग।

16) रेल मंत्री, सांसद, विधायक, रेलवे बोर्ड और सीए-III से संदर्भ, पिंक फाइलें।

17) संसद प्रश्न।

18) कॉर्पोरेट योजना, पंचवर्षीय योजना आदि से संबंधित मामलों की डीलिंग।

19) पूर्ण किए गए सर्वेक्षणों, विकास परियोजनाओं, भारतीय रेल मानचित्र और सिस्टम मानचित्र आदि को अद्यतन

करने आदि से संबंधित पत्राचार।

20) जल निकासी - स्टेशन यार्ड में योजना, मंजूरी और निगरानी

21) जेडआरयूसीसी, एसआरयूसीसी, रेलवे कन्वेंशन कमेटी और अन्य संसदीय समितियाँ।

22) राज्य सरकार के प्राधिकरणों, एमआरवीसी, एमयूटीटी, विभाग के साथ बैठकें और इंजीनियरिंग विभाग के अन्य

विभागाध्यक्षों व दूसरे पदाधिकारियों के साथ समन्वय।

23) इंजीनियरिंग विभाग का राजस्व बजट।

24) संस्थानों की सदस्यता (राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जैसे आईबीसी, आईसीई, एसीसीई आदि)

25) यार्ड योजनाओं और निर्माण संगठन के एल-सेक्शन का अनुमोदन।

26) विरासत संरचनाएँ।

27) आपदा प्रबंधन (पुलों के अलावा अन्य इमारतों और संरचनाओं से संबंधित)।

28) ई-डैस कार्यान्वयन, रेल मदद, पेपर क्लिपिंग, एमआरवीसी, एनएचएसआरसीएल, एमयूटीपी, पीएफटी।

29) मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में सभी एजेंसियों द्वारा बनाए जा रहे एफओबी की प्रगति की निगरानी।

30) गुजरात सरकार के राज्य समन्वयक के रूप में और गुजरात राज्य की मदें।

31) नामित मंडल (मेंटर एचओडी) के माइनर ब्रिज रजिस्टर की संवीक्षा।

32) समय-समय पर पीसीई द्वारा सौंपे गए अन्य कोई विषय।

**5. मुख्य इंजीनियर/कार्य एवं स्टेशन विकास**

A. सहायता के लिए: उप मुख्य इंजीनियर (कार्य एवं स्टेशन विकास)- चर्चगेट

**B. कार्य**

**कार्य**

1) कार्य संवर्ग।

2) कार्य एवं सामग्रियों के लिए दरों एवं मानक विनिर्देशों की एकीकृत मानक अनुसूची।

3) कार्य मानक समिति।

4) कार्य नियमावली।

5) जल आपूर्ति - योजना, मंजूरी, क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता निगरानी, ओवरहेड टैंक सहित।

6) स्वच्छता एवं जल निकासी - स्टेशन यार्ड के अलावा अन्य क्षेत्रों में योजना, मंजूरी एवं निगरानी।

7) फुट ओवर ब्रिज - उपनगरीय खंड के अलावा अन्य दोषों का निरीक्षण एवं सुधार - प्रतिस्थापन या

स्थिति के आधार पर सिफारिश सहित।

8) बागवानी।

9) कार्य अध्ययन रिपोर्ट।

10) शक्तियों की अनुसूची।

11) कार्य का गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता लेखापरीक्षा।

12) निर्देशों का संग्रह।

13) सीओएस के माध्यम से भंडार खरीद से संबंधित सभी मामले, स्पॉट क्रय समिति, पीएल संख्या

का अद्यतन एवं संशोधन।

14) सभी संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी प्रगति।

15) संविदा एवं मध्यस्थता - नीतियाँ, कार्यान्वयन एवं निगरानी।

16) इंजीनियरिंग विभाग के मध्यस्थता के लिए नोडल अधिकारी।

17) कॉलोनियों, स्टेशनों और सेवा भवनों का रखरखाव।

18) मुख्य इंजीनियर/कार्य से संबंधित स्वीकृत स्थापना प्रावधानों का उपयोग।

19) निविदाओं, संविदाओं और मध्यस्थता (ट्रैक आपूर्ति के अलावा) से संबंधित मामले। प्रधान कार्यालय स्तर पर

निविदाओं का आमंत्रण, संविदा करार की प्रक्रिया एवं अंतिम रूप देना, ठेकेदार के दावों के निपटारे हेतु संविदा

की प्रगति के संबंध में पत्राचार। अनुमोदित संविदाओं की सूची का अद्यतनीकरण।

20) 'ए' श्रेणी स्तर के ठेकेदारों के पंजीकरण की प्रक्रिया, जोखिम और लागत निविदाओं आदि का विवरण।

21) कार्य समापन रिपोर्ट।

22) वर्क्स प्रोग्राम

23) कार्य और स्टेशनों से संबंधित नीतियाँ।

24) सभी संविदा नीतियाँ, बोली दस्तावेज़, नॉन स्टॉक आइटम का मानकीकरण, सेवा संविदा आदि।

25) दरों की अनुसूची, मानक विनिर्देशन और संबंधित मामले।

26) एमपीएलएडी और सीएसआर निधियों के अंतर्गत कार्य के लिए निधियों की निगरानी और नियंत्रण।

27) जीएलओ और स्टेशन भवन, चर्चगेट के निर्माण कार्यों की निगरानी।

28) आरवीएनएल, बीडीआरसीएल से संबंधित सभी मामले और आरवीएनएल, इरकॉन, राइट्स से

संबंधित मुद्दे।

29) निर्माण कार्य, पुल और ट्रैक का यूएसएसओआर।

30) जी-राइड से संबंधित मामले।

31) कार्यालयीन कामकाज की ई-वर्किंग, आईटी, एमआईएस और ई-ऑफिस का कार्यान्वयन।

32) प्रमुख मुख्य इंजीनियर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

33) नामित मंडल (मेंटर विभागाध्यक्ष) के छोटे पुल रजिस्टर की जांच।

**स्टेशन विकास:**

1) स्टेशनों के रखरखाव, जल आपूर्ति, जल निकासी, स्वच्छता, विकास कार्यों से संबंधित सभी नीतिगत

मामले और निगरानी मदें।

2) स्टेशन यार्ड में जल निकासी योजना, मंजूरी और निगरानी।

3) स्टेशनों पर सभी नियोजित विकास कार्यों का क्रियान्वयन (ट्रैक और पुल कार्यों को छोड़कर)

4) स्टेशन विकास के लिए आईआरएसडीसी और अन्य पीडीए के साथ समन्वय।

5) आईआरएसडीसी सहित स्टेशन विकास।

6) आईआरएसडीसी, आईआरसीटीसी से संबंधित मामले।

7) सीवेज और जल उपचार संयंत्रों (एनएसजी-1 से एनएसजी-4 स्टेशन) से संबंधित सभी कार्य।

8) विश्व स्तरीय स्टेशन के विकास, स्टेशन विकास और स्टेशनों के पुनर्विकास से संबंधित सभी कार्य, जिनमें (क)

सिटको-सूरत (ख) गरुड़-गांधीनगर शामिल हैं।

9) एमआरवीसी (कुल 8) और आईआरएसडीसी (कुल 7) द्वारा विकसित किए जाने वाले मुंबई

उपनगरीय क्षेत्र के 15 स्टेशनों के समन्वय, योजना और निगरानी से संबंधित मामले।

10) स्टेशन भवन के नवीनीकरण/रीमॉडलिंग का प्रमुख कार्य।

11) मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय और मंडल के साथ स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की निगरानी

और समन्वय तथा मॉडल/आधुनिक/आदर्श स्टेशन, स्टेशनों पर दिव्यांगजन सुविधा और रेलवे बोर्ड

को भेजा जाने वाला पीसीडीओ शामिल हैं।

12) गैर-उपनगरीय क्षेत्रों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्मित किए जा रहे फुट ओवर ब्रिज की प्रगति की निगरानी।

13) पश्चिम रेलवे के गैर-उपनगरीय खंडों में फुट ओवर ब्रिज के रखरखाव के मामलों की निगरानी।

14) मल्टीफंक्शनल काम्प्लेक्स से संबंधित समन्वय और योजना से संबंधित मामले।

15) एनएचएसआरसीएल और जी-राइड आदि से संबंधित रेलवे हिस्से में कार्यों के समन्वय, योजना

और निष्पादन से संबंधित मामले।

16) विरासत संरचनाओं से संबंधित मामले।

17) केआरसीएल से संबंधित सभी मामले।

18) इंजीनियरिंग विभाग में आईटी पहल (नोडल अधिकारी)।

19) नामित मंडल (मेंटर एचओडी) के छोटे पुल रजिस्टर की जांच।

20) प्रमुख मुख्य इंजीनियर द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

**6.** **मुख्य इंजीनियर/ट्रैक आपूर्ति**

**B. कार्य**

1) थर्मिट वेल्ड पोर्शन सहित ट्रैक फिटिंग की खरीद से संबंधित सभी मामले।

2) स्लीपर प्लांट सहित पीआरसी स्लीपरों से संबंधित सभी मामले।

3) ईआरसी, मेटल लाइनर्स और पी. वे फिटिंग के निरीक्षण से संबंधित सभी मामले।

4) ट्रैक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित मध्यस्थता के मामले।

5) सभी संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति।

6) सीई/टीएस से संबंधित संस्वीकृत प्राक्कलन में स्थापना प्रावधानों का उपयोग।

7) मंडल स्तर पर पी. वे फिटिंग की खरीद से संबंधित नीतिगत मामले।

8) पी. वे वस्तुओं की खरीद से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट और ड्राफ्ट पैरा।

9) स्क्रैप निपटान।

10) अधिशेष तथा अनुपयोगी पी. वे मैटेरियल्स और स्क्रैप का निपटान। स्टॉक सत्यापन और स्टॉक प्रबंधन।

11) इंजीनियरिंग विभाग के कम्प्यूटरीकरण का कार्य।

12) नामित मंडल (मेंटर एचओडी) के माइनर ब्रिज रजिस्टर की संवीक्षा।

13) समय-समय पर प्रमुख मुख्य इंजीनियर (पीसीई) द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य।

**7. मुख्य इंजीनियर /ट्रैक मशीनें**

**A. सहायता के लिए:**

(ए) उप मुख्य इंजीनियर (टीएमसी), चर्चगेट (बी) उप मुख्य इंजीनियर (टीएमसी), वटवा

**B. कार्य**

1) सभी प्रकार की ट्रैक मशीनों का रखरखाव, परिचालन और नियंत्रण।

2) सीपीओएच सहित ट्रैक मशीन कैडर नियंत्रण।

3) सीपीओएच सहित ट्रैक मशीनों के लिए जनशक्ति नियोजन।

4) ट्रैक मशीनें मैनुअल।

5) प्रस्तावों को तैयार करना और शुरू करना तथा सीटीई के माध्यम से विस्तृत योजना बनाना।

6) सभी संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति।

7) छोटी ट्रैक मशीनों की खरीद और रखरखाव।

8) सीई/टीएमसी से संबंधित संस्वीकृत प्राक्कलन में स्थापना प्रावधानों का उपयोग।

9) ट्रैक मशीनों के प्रभावी उपयोग के लिए सीटीई के साथ समन्वय।

10) राजभाषा और हिंदी बैठकों के लिए समन्वय।

11) **मध्य प्रदेश सरकार** के लिए राज्य समन्वयक के रूप में और मध्य प्रदेश राज्य की मदें।

12) नामित मंडल (मेंटर एचओडी) के स्मॉल ब्रिज रजिस्टर की संवीक्षा।

13) समय-समय पर प्रमुख मुख्य इंजीनियर (पीसीई) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

**8. मुख्य इंजीनियर / आरएसडब्ल्यू**

**A. सहायता के लिए:** उप मुख्य इंजीनियर (आरएसडब्ल्यू)

**B. कार्य**

1) योजना शीर्ष-30 के अंतर्गत आरओबी, आरयूबी की योजना और निगरानी कार्य, जिसमें डिपोज़िट कार्य,

एनएचएआई कार्य आदि, एलसी के समापन के लिए सबवे के कार्य शामिल हैं।

2) समपारों, इंटरलॉकिंग और उनके समापन (निरीक्षण, रखरखाव, परिचालन, समपारों पर सुरक्षा को छोड़कर और

गेटमैन के प्रशिक्षण (गेटमैन के रूप में तैनात पूर्व सैनिकों सहित, जो सीटीई के साथ होंगे) से संबंधित सभी

मुद्दे।

3) योजना शीर्ष-29 का कार्य कार्यक्रम।

4) सीटीआरटी से ओटीआरटी: यह सीई/आरएसडब्ल्यू के पास होगा लेकिन सीटीई के माध्यम से निपटाया जाएगा।

5) आरओबी/आरयूबी द्वारा प्रतिस्थापन के लिए योग्य व्यस्त समपारों के स्थान पर रोड ओवर/अंडर ब्रिजो के

निर्माण की संस्वीकृति, निगरानी और निष्पादन।

6) सामान्य जन के लिए फुट ओवर ब्रिज के निर्माण एवं यात्री सुख-सुविधा कार्यों के अंतर्गत शामिल न किए गए

अन्य सुविधाओं के संबंध में संस्वीकृति, निगरानी और निष्पादन।

7) योजना शीर्ष-30 के लिए कार्य कार्यक्रम।

8) समपारों, आरओबी/आरयूबी से संबंधित सुधार पर्चियों का समन्वय।

9) पीआरसीएल, एमआरआईडीसीएल से संबंधित सभी मामले।

10) आरओबी/आरयूबी/एलएचएस के लिए राज्य सरकार/एनएचएआई/स्थानीय निकायों/निर्माण संगठन के साथ

समन्वय।

11) प्रारूप और लेखापरीक्षा पैरा।

12) पीसीई द्वारा सौंपी गई कोई अन्य मद।

13) नामित मंडल (मेंटर एचओडी) के माइनर ब्रिज रजिस्टर की जांच।

**9. मुख्य इंजीनियर (सीपीओएच एवं इंजीनियरिंग वर्कशॉप) अहमदाबाद**

**इंजीनियरिंग वर्कशॉप**

**A. सहायता के लिए**: उप मुख्य इंजीनियर (ईडब्ल्यूएस) साबरमती

**B.** **कार्य**

1) ब्रिज वर्कशॉप का समग्र प्रभारी और कारखानों में रखरखाव, लक्ष्य और उत्पादन के लिए उत्तरदायी।

2) सभी संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति।

3) ईडब्ल्यूएस से संबंधित संस्वीकृत प्राक्कलनों में स्थापना प्रावधानों का उपयोग।

4) वीहिकल्स के अलावा इंजीनियरिंग विभाग के संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव।

5) पुल निर्माण कार्यों के लिए संरचनात्मक स्टील और अन्य वस्तुओं की वार्षिक खरीद, जिसमें समन्वय आदि

शामिल है।

6) फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट और एफबीडब्ल्यू प्लांट के रखरखाव के अन्य मुद्दे।

7) इंजीनियरिंग वर्कशॉप के ग्रेड सी और डी का कैडर कंट्रोल।

8) नामित मंडल (मेंटर एचओडी) के माइनर ब्रिज रजिस्टर की संवीक्षा।

9) समय-समय पर पीसीई द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

**ट्रैक मशीन सीपीओएच**

**A. सहायता के लिए:** उप मुख्य इंजीनियर (सीपीओएच), वटवा

**B. कार्य**

1) सेंट्रल पीरिऑडिक ओवरहॉलिंग (सीपीओएच) वर्कशॉप के समग्र प्रभारी।

2) ट्रैक मशीनों की ओवरहॉलिंग के लिए सीपीओएच में पीएंडएम के रखरखाव के लिए उत्तरदायी।

3) पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा नामित ट्रैक मशीनों की

ओवरहॉलिंग।

4) एएमसी, आरसी,ओईएम से पुर्जों की खरीद और ट्रैक मशीनों के पीओएच के लिए आवश्यक पुर्जों और असेंबली

के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित कार्य।

5) ट्रैक मशीनों के पीओएच के लिए सीपीओएच में जनशक्ति नियोजन।

6) ट्रैक मशीनों के पीओएच के लिए सीई/टीएमसी-पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम

रेलवे के साथ संपर्क।

टिप्पणी:

(क) उपरोक्त सूची में किसी भी मद में किसी भी अस्पष्टता या ओवरलैप के मामले में, उस मद को

प्रधान मुख्य अभियंता द्वारा नामित विभागाध्यक्ष द्वारा संभाला जाएगा।

(ख) उपर्युक्त एसएजी स्तर के अधिकारी नामित होने पर सुरक्षा निरीक्षण/रात्रि निरीक्षण करेंगे।

(ग) यदि कोई विषय संबंधित विभागाध्यक्ष के नियंत्रण के अलावा किसी अन्य अनुभाग द्वारा निपटाया

जा रहा हो, तो संबंधित अनुभाग को उस अनुभाग के उप विभागाध्यक्ष के माध्यम से उस विषय

को सौंपे गए विभागाध्यक्ष को फाइल प्रस्तुत करनी होगी।

(सं. पी.सी.ई./ड्यूटी सूची/2025 दिनांक: 08.07.2025)

**प्रमुख मुख्य इंजिनियर**